APP-A
crim-1

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय ..... मुकाम ..... बनाम ..... नं० ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/22	केस अपी० उपनि सरिका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि० की जावें। कौल अपी० को स्थगन ज. पत्र पर सुना गया। कौल अभिकथन का कथन है कि अपी० न्यायालय के ज. पत्र स्थगन पर उभयपक्ष के सुनने के बाद भी कोई आदेश पारित नहीं किया। मय विभाजन का है। ऐसे० अधी० अदालती जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं एवं स्थगन, बाद तामिल मदने मौकिया में है। ऐसे बहस ऐसो० की ओर से श्री जगदीश प्रसाद मीना ने वकालतनामा पेश करते हुये निवेदन किया कि ऐसो० को पाबन्द नहीं है। अपीलार्थ को मौकिया जावें। क्योंकि पक्षकारान सदरबोतयार हैं। उभयपक्ष के पाबन्द नहने पर ऐसो० को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपी० न्याय० में प्रकरण कि नां० 02.03.22 को दर्ज हुआ है एवं कैविएट अधि०भी उपस्थित रहे हैं व उन्हें सुना भी गया है परन्तु स्थगन पर कोई आदेश पारित नहीं करते हुये प्रकरण में दिनांक 6.4.22 पेशी नियत कर दी गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

चूंकि प्रकरण में अपपक्ष विवादी व मौके की उपस्थिति हेतु सप्रत है। अतः इस अभिलेख अभिलाख इसी स्तर पर अंतिम स्वीकार योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि अभिलेख अभिलाख अंतिम स्वीकार की जाकर अधी० न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में स्थगन पर यथोचित आदेश पारित करें। तब तक विवादित आराजी के सुरक्षा हेतु उभयपक्ष विवादित आराजी ख.नं० 2318 वाले ग्राम सैपऊ नं० 1 पर विवादी व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एडव० फैसल शुमार की जावे सकार से वसूल की जावें तथा वादखर्चा शामिल मुकदमा है। उभयपक्ष अधी० न्यायालय में दिनांक 31/3/22 को उपस्थित होवें।

उप-खण्ड अधिकारी,
पदेन
राजस्व न्यायालय अधिकारी
धौलपुर कैम्प-बौसपुर